

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2024-25/1675-2 दिनांक 24.05.2024
विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु जनपदों को धनराशि का आवंटन एवं दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/1444-2 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्र संख्या-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/9688-15 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु उक्त दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार् तथा संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है:-

क्रम सं०	गतिविधि	एफ0एम0आर0/फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित धनराशि
1	ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू० 1400 की दर से 90% धनराशि आवंटित	3.1	25,00,000	315,00,00,000
2	शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू० 1000 की दर से	3.2	3,00,000	30,00,00,000
3	बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु भुगतान रू० 500 की दर से	3.3	615	3,07,500
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू० 600 की दर से	3.4	23,80,000	142,80,00,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	3.5	4%	19,51,32,300
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि				507,34,39,800

आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने व सहयोग प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्रावधान है:-


- ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 600/- की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू०-300/- प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाइयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-300/- प्रति लाभार्थी)।
- शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 400/- की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू०-200/- प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाइयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-200/- प्रति लाभार्थी)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू० 507,34,39,800/- (रू० पाँच सौ सात करोड़ चौतीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ मात्र) की संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। जनपदों द्वारा की गयी मांग एवं आवश्यकतानुसार शेष धनराशि जनपदों की नौ माह की प्रगति एवं जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूर्ण भुगतान किया जाए एवं "प्रपत्र 18" पर जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के बाद 05 कार्यदिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाये।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(डा० पिकी जोवली)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/मातृ स्वा०/जे०एस०वाई०/८-९/२०२४-२५/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3 महानिदेशक, परिवार कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5 निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 8 समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 9 वित्त नियन्त्रक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 10 समस्त महाप्रबंधक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को सूचनार्थ।
- 11 महाप्रबंधक एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 12 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 13 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 14 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 15 विधि परामर्शदाता एस०पी०एम०यू०-एन०एच०एम० को इस आशय से प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
- 16 गार्ड फाईल।

(डा० रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य

Annexure - I

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

0.	District	Physical Targets for Budgetary allocation					JSY Budget Sheet 2024-25					Total JSY
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	Home deliveries	3.1	3.2	3.4	3.5		
1	Agra	12	42,000	14,000	47,600	6,000	52,920,000	14,000,000	28,560,000	3,819,440	99,305,440	
2	Aligarh	12	45,000	14,000	50,150	6,000	56,700,000	14,000,000	30,090,000	4,031,840	104,827,840	
3	Ambedkar Nagar	7	25,000	1,000	22,100	3,500	31,500,000	1,000,000	13,260,000	1,830,540	47,594,040	
4	Amethi	7	30,000	1,000	26,350	3,500	37,800,000	1,000,000	15,810,000	2,184,540	56,798,040	
5	Auraiya	7	21,000	1,000	18,700	3,500	26,460,000	1,000,000	11,220,000	1,547,340	40,230,840	
6	Azamgarh	12	45,000	14,000	50,150	6,000	56,700,000	14,000,000	30,090,000	4,031,840	104,827,840	
7	Baghpat	7	15,000	2,000	14,450	3,500	18,900,000	2,000,000	8,670,000	1,182,940	30,756,440	
8	Bahraich	7	76,000	2,000	66,300	3,500	95,760,000	2,000,000	39,780,000	5,501,740	143,045,240	
9	Ballia	7	41,000	1,000	35,700	3,500	51,660,000	1,000,000	21,420,000	2,963,340	77,046,840	
10	Balrampur	7	41,000	1,000	35,700	3,500	51,660,000	1,000,000	21,420,000	2,963,340	77,046,840	
11	Banda	7	39,000	3,000	35,700	3,500	49,140,000	3,000,000	21,420,000	2,942,540	76,506,040	
12	Barabanki	7	49,000	2,000	43,350	3,500	61,740,000	2,000,000	26,010,000	3,590,140	93,343,640	
13	Bareilly	12	38,000	5,000	36,550	6,000	47,880,000	5,000,000	21,930,000	2,992,640	77,808,640	
14	Basti	12	34,000	2,000	30,600	6,000	42,840,000	2,000,000	18,360,000	2,528,240	65,734,240	
15	Bijnor	7	23,000	2,000	21,250	3,500	28,980,000	2,000,000	12,750,000	1,749,340	45,482,840	
16	Budaun	7	56,000	4,000	51,000	3,500	70,560,000	4,000,000	30,600,000	4,206,540	109,370,040	
17	Bulandshahr	7	35,000	6,000	34,850	3,500	44,100,000	6,000,000	20,910,000	2,840,540	73,854,040	
18	Chandauli	7	31,000	1,000	27,200	3,500	39,060,000	1,000,000	16,320,000	2,255,340	58,638,840	
19	Chitrakoot	12	24,000	1,000	21,250	6,000	30,240,000	1,000,000	12,750,000	1,759,840	45,755,840	
20	Deoria	7	42,000	1,000	36,550	3,500	52,920,000	1,000,000	21,930,000	3,034,140	78,887,640	
21	Etah	7	24,000	1,000	21,250	3,500	30,240,000	1,000,000	12,750,000	1,759,740	45,753,240	
22	Etawah	7	26,000	4,000	25,500	3,500	32,760,000	4,000,000	15,300,000	2,082,540	54,146,040	
23	Faizabad (AYODHYA)	12	29,000	5,000	28,900	6,000	36,540,000	5,000,000	17,340,000	2,355,440	61,241,440	
24	Farukhhabad	7	26,000	2,000	23,800	3,500	32,760,000	2,000,000	14,280,000	1,961,740	51,005,240	
25	Fatehpur	7	39,000	3,000	35,700	3,500	49,140,000	3,000,000	21,420,000	2,942,540	76,506,040	
26	Firozabad	7	28,000	8,000	30,600	3,500	35,280,000	8,000,000	18,360,000	2,465,740	64,109,240	
27	Gautam Buddha Nagar	7	17,000	8,000	21,250	3,500	21,420,000	8,000,000	12,750,000	1,686,940	43,860,440	
28	Ghaziabad	7	10,000	12,000	18,700	3,500	12,600,000	12,000,000	11,220,000	1,432,940	37,256,440	
29	Ghazipur	7	47,000	1,000	40,800	3,500	59,220,000	1,000,000	24,480,000	3,388,140	88,091,640	
30	Gonda	12	47,000	2,000	41,650	6,000	59,220,000	2,000,000	24,990,000	3,448,640	89,664,640	
31	Gorakhpur	12	49,000	6,000	46,750	6,000	61,740,000	6,000,000	28,050,000	3,831,840	99,627,840	

(प्रमाणित किया है)
व्यवस्थापक, मंत्रालय

(को भी देना है)
संबंधित मंत्रालय

0

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

o.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2024-25					Total JSY
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	3.1	3.2	3.4	3.5		
						Home deliveries	Rural deliveries	Urban deliveries	Incentives to ASHA	Administrative Expenses 4%	
32	Hammirpur	7	22,000	2,000	20,400	3,500	27,720,000	2,000,000	12,240,000	1,678,540	43,642,040
33	Hapur	7	12,000	2,000	11,900	3,500	15,120,000	2,000,000	7,140,000	970,540	25,234,040
34	Hardoi	7	58,000	2,000	51,000	3,500	73,080,000	2,000,000	30,600,000	4,227,340	109,910,840
35	Hathras	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
36	Jalaun	7	21,000	4,000	21,250	3,500	26,460,000	4,000,000	12,750,000	1,728,540	44,942,040
37	Jaunpur	7	44,000	2,000	39,100	3,500	55,440,000	2,000,000	23,460,000	3,236,140	84,139,640
38	Jhansi	12	21,000	6,000	22,950	6,000	26,460,000	6,000,000	13,770,000	1,849,440	48,085,440
39	NAGAR,Amroha	7	16,000	2,000	15,300	3,500	20,160,000	2,000,000	9,180,000	1,253,740	32,597,240
40	Kannauj	7	27,000	2,000	24,650	3,500	34,020,000	2,000,000	14,790,000	2,032,540	52,846,040
41	Kanpur Dehat	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
42	Kanpur Nagar	12	27,000	14,000	34,850	6,000	34,020,000	14,000,000	20,910,000	2,757,440	71,693,440
43	Kasganj	7	24,000	2,000	22,100	3,500	30,240,000	2,000,000	13,260,000	1,820,140	47,323,640
44	Kaushambi	7	33,000	2,000	29,750	3,500	41,580,000	2,000,000	17,850,000	2,457,340	63,890,840
45	Kheri (Lakhimpur Kheri)	7	64,000	3,000	56,950	3,500	80,640,000	3,000,000	34,170,000	4,712,540	122,526,040
46	Kushi Nagar	7	48,000	2,000	42,500	3,500	60,480,000	2,000,000	25,500,000	3,519,340	91,502,840
47	Lalitpur	7	26,000	2,000	23,800	3,500	32,760,000	2,000,000	14,280,000	1,961,740	51,005,240
48	Lucknow	12	24,000	33,000	48,450	6,000	30,240,000	33,000,000	29,070,000	3,692,640	96,008,640
49	Maharajganj	7	38,000	1,000	33,150	3,500	47,880,000	1,000,000	19,890,000	2,750,940	71,524,440
50	Mahoba	7	17,000	3,000	17,000	3,500	21,420,000	3,000,000	10,200,000	1,384,940	36,008,440
51	Mainpuri	7	25,000	2,000	22,950	3,500	31,500,000	2,000,000	13,770,000	1,890,940	49,164,440
52	Mathura	7	28,000	3,000	26,350	3,500	35,280,000	3,000,000	15,810,000	2,163,740	56,257,240
53	MAU	7	28,000	1,000	24,650	3,500	35,280,000	1,000,000	14,790,000	2,042,940	53,116,440
54	Meerut	12	20,000	9,000	24,650	6,000	25,200,000	9,000,000	14,790,000	1,959,840	50,955,840
55	Mirzapur	12	43,000	2,000	38,250	6,000	54,180,000	2,000,000	22,950,000	3,165,440	82,301,440
56	Moradabad	12	17,000	4,000	17,850	6,000	21,420,000	4,000,000	10,710,000	1,445,440	37,581,440
57	Muzaffar Nagar	7	30,000	4,000	28,900	3,500	37,800,000	4,000,000	17,340,000	2,365,740	61,509,240
58	Pilibhit	7	26,000	1,000	22,950	3,500	32,760,000	1,000,000	13,770,000	1,901,340	49,434,840
59	Pratapgarh	7	39,000	2,000	34,850	3,500	49,140,000	2,000,000	20,910,000	2,882,140	74,935,640
60	PRAYAGRAJ Allahabad	12	67,000	4,000	60,350	6,000	84,420,000	4,000,000	36,210,000	4,985,440	129,621,440
61	Raebareli	7	43,000	2,000	38,250	3,500	54,180,000	2,000,000	22,950,000	3,165,340	82,298,840
62	Rampur	7	19,000	2,000	17,850	3,500	23,940,000	2,000,000	10,710,000	1,466,140	38,119,640

(प्रमाणित विवरण)
 उपरोक्त, शीर्षक के अनुसार

(श्री श्री जय श्री गणेशाय)
 नमो नमो नमो नमो

2

JSY:Janani Suraksha Yojana DHAP sheet for year 2024-25

0.	District	Physical Targets for Budgetary allocation				JSY Budget Sheet 2024-25					
		Home Deliveries	Rural Deliveries	Urban Deliveries	Incentives to ASHA	3.3 Home deliveries	3.1 Rural deliveries	3.2 Urban deliveries	3.4 Incentives to ASHA	3.5 Administrative Expenses 4%	Total JSY
63	Saharanpur	12	32,000	5,000	31,450	6,000	40,320,000	5,000,000	18,870,000	2,567,840	66,763,840
64	Sambhal	7	30,000	2,000	27,200	3,500	37,800,000	2,000,000	16,320,000	2,244,940	58,368,440
65	Sant Kabir Nagar	7	28,000	1,000	24,650	3,500	35,280,000	1,000,000	14,790,000	2,042,940	53,116,440
66	Sant Ravidas Nagar	7	18,000	2,000	17,000	3,500	22,680,000	2,000,000	10,200,000	1,395,340	36,278,840
67	Shahjahanpur	7	41,000	4,000	38,250	3,500	51,660,000	4,000,000	22,950,000	3,144,540	81,758,040
68	Shamali	7	19,000	3,000	18,700	3,500	23,940,000	3,000,000	11,220,000	1,526,540	39,690,040
69	Shravasti	7	35,000	1,000	30,600	3,500	44,100,000	1,000,000	18,360,000	2,538,540	66,002,040
70	Siddharth Nagar	7	36,000	1,000	31,450	3,500	45,360,000	1,000,000	18,870,000	2,609,340	67,842,840
71	Sitapur	7	80,000	4,000	71,400	3,500	100,800,000	4,000,000	42,840,000	5,905,740	153,549,240
72	Sonbhadra	7	34,000	1,000	29,750	3,500	42,840,000	1,000,000	17,850,000	2,467,740	64,161,240
73	Sultanpur	7	35,000	1,000	30,600	3,500	44,100,000	1,000,000	18,360,000	2,538,540	66,002,040
74	Unao	7	33,000	6,000	33,150	3,500	41,580,000	6,000,000	19,890,000	2,698,940	70,172,440
75	Varanasi	12	30,000	15,000	38,250	6,000	37,800,000	15,000,000	22,950,000	3,030,240	78,786,240
	Total District	615	2,500,000	300,000	2,380,000	307,500	3,150,000,000	300,000,000	1,428,000,000	195,132,300	5,073,439,800

(प्रभाकर तिवारी)
 उपपरिचाल, मीठ संरक्षण

(डॉ. रवि शंकर शर्मा)
 सहायक मीठ संरक्षण

3

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2024-25/1675-2 दिनांक 24.05.2024
विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु जनपदों को धनराशि का आवंटन एवं दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/1444-2 दिनांक 22.05.2023 एवं पत्र संख्या-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/9688-15 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किये गये थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु उक्त दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्न तालिकानुसार गतिविधिवार् तथा संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है:-

क्रम सं०	गतिविधि	एफ0एम0आर0/फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित धनराशि
1	ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू० 1400 की दर से 90% धनराशि आवंटित	3.1	25,00,000	315,00,00,000
2	शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु भुगतान रू० 1000 की दर से	3.2	3,00,000	30,00,00,000
3	बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु भुगतान रू० 500 की दर से	3.3	615	3,07,500
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू० 600 की दर से	3.4	23,80,000	142,80,00,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	3.5	4%	19,51,32,300
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि				507,34,39,800

आशाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने व सहयोग प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्रावधान है:-

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 600/-की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू०-300/- प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-300/- प्रति लाभार्थी)।
- शहरी क्षेत्र के प्रसवों हेतु आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 400/-की दर से (गर्भवती महिला का मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप, एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर हेतु रू०-200/- प्रति लाभार्थी एवं राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-200/- प्रति लाभार्थी)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू० 507,34,39,800/- (रू० पाँच सौ सात करोड़ चौतीस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ मात्र) की संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। जनपदों द्वारा की गयी मांग एवं आवश्यकतानुसार शेष धनराशि जनपदों की नौ माह की प्रगति एवं जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूर्ण भुगतान किया जाए एवं "प्रपत्र 18" पर जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के बाद 05 कार्यदिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अतः धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मानकानुसार एवं नियमानुसार व्यय किया जाये।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि एवं दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रम का सम्पादन कराना सुनिश्चित करें, आवंटित धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(डा० पिकी जोवल)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/मातृ स्वा०/जे०एस०वाई०/८-९/२०२४-२५/१६७५-२(१६) तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3 महानिदेशक, परिवार कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5 निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प०क० महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 8 समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 9 वित्त नियन्त्रक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 10 समस्त महाप्रबंधक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को सूचनार्थ।
- 11 महाप्रबंधक एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 12 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 13 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 14 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 15 विधि परामर्शदाता एस०पी०एम०यू०-एन०एच०एम० को इस आशय से प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
- 16 गार्ड फाईल।

(डा० रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/ दिनांक 22.05.2023
विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" के संचालन हेतु
धनराशि का आवंटन एवं दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शासनादेश सं0-जी0आई0
176/5-9-07-9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0-3668/5-9.7-9(113)/2005,
दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0-3667/5-9-08-9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन
संचालित की जा रही हैं।

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 की स्वीकृतियों के अनुसार "जननी सुरक्षा योजना" वित्तीय वर्ष
2023-24 हेतु 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जननी
सुरक्षा योजना हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को
आवंटित की जा रही है-

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एच0आर0 एवं फीस कोड	वित्तीय आगमन हेतु नैतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (₹0 में)
1	ग्रामीण प्रसवों का भुगतान ₹0 1400 की दर से	RCH1.3.DBT.1	25,01,000	262,60,50,000
2	शहरी प्रसवों का भुगतान ₹0 1000 की दर से	RCH1.3.DBT.2	2,89,000	21,67,50,000
3	बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव ₹0 500 की दर से	RCH1.3.DBT.3	615	3,07,000
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि ₹0 600 की दर से	RCH1.3.ASHA	23,74,800	106,86,60,000
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	RCH1.3.OOC	4%	15,64,70,680
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				406,82,37,680

कार्यक्रम कियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-

1. गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन:-

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको आर0सी0एच0 पोर्टल में परिवर्तित कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एस0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाना है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान:-

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-657/पॉच-9-2013-9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8-6/13-14/934-75 दिनांक-30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी सुरक्षा योजना" एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है एवं इसका लाभ राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, अन्य जिला

स्तरीय चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर लागू है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं-

- ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू० 1400/-प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.DBT.1
- शहरी प्रसवों का भुगतान रू० 1000/-प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.DBT.2
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु रू० 500/-प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है (एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.DBT.3)

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या- 176 /5-9-07-9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पॉच में दिये गये निर्देश में आशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली सभी आयु वर्गकी गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवाप्रदाता (ए.एन.एम./एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिरटर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू०- 500/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गयी है, जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि०स्वा० एवं प०क०, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक-373/पॉच-9-2014-9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 600/-की दर से ग्रामीण प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाइयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-300/- प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम०सी०पी० कार्ड पर आर०सी०एच० नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए०एन०सी० चेकअप हेतु रू०-300/- प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.ASHA
- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू० 400/-की दर से शहरी प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाइयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू०-200/- प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम०सी०पी० कार्ड पर आर०सी०एच० नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए०एन०सी० चेकअप हेतु रू०-200/- प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.ASHA

3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत (प्रशासनिक मद हेतु)-जनपद स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आवंटित की गयी है, जनपदों में जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रसव भार के अनुसार आवंटित धनराशि का 4 प्रतिशत (प्रशासनिक मद हेतु) का आवंटन भी सुनिश्चित किया जाये है। इस धनराशि का उपयोग निम्नवत् किया जाना है एफ०एम०आर० एवं फैंस कोड RCH.1.3.OOC

- ए०एन०सी०, लेबर रूम एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी रजिस्ट्ररों का मुद्रण
- मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री।
- जे०एस०वाई० वार्ड एवं लेबर रूम हेतु रख रखाव, साफ सफाई एवं साज-सज्जा की व्यवस्था।
- जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ज रिपोर्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।

4. मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था—

आयुषमान भारत योजना के अन्तर्गत चिन्हित मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में Health benefit package में पात्र लाभार्थियों हेतु जटिल प्रसवों एवं सिजेरियन प्रसवों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान —

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.15 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा आधार लिन्कड बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान आर0सी0एच0 पोर्टल डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। **समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जायेंगे।**

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। धनराशि की जानकारी 'जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र' के माध्यम से दे दी जाये, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। सभी इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये। जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक—एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2021-22/2611-2 दिनांक 13.08.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार—

- गर्भवती महिलाओं के बैंक खाता के पूर्ण विवरण सहित आर0सी0एच0 पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। बैंक खाता का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड एवं आर0सी0एच0 रजिस्टर पर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीकरण उपरान्तजिन लाभार्थियों के पास बैंक खातासंख्या उपलब्ध नहीं है, आशाओं के माध्यम से उनके खाते खुलवाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। प्रत्येक दशा में प्रसव पूर्व समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा लिये जायें, ताकि प्रसव उपरान्त जे0एस0वाई0 भुगतान में कोई विलम्ब न हो।
- दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान 48 घण्टे के अंदर किया जाना आवश्यक है एवं भुगतान विलम्बित होने पर जनपद स्तर से साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायें।

6. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग-

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त रिपोर्ट एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जायेंगी। समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं राज्य आधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ों को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टता निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि समस्त आंकड़ों को दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मासिक समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

समस्त राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों पर हुये संस्थागत प्रसवों की सूचना प्रति दिन "मंत्र" पोर्टल पर किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट "प्रपत्र 18" पर प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 05 दिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय फांट-


वित्तीय वर्ष 2022-23 में जननी सुरक्षा योजना की जनपदों से उपलब्ध करायी गयी त्रैमासिक भौतिक प्रगति "प्रपत्र 18" के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर0ओ0पी0 में जननी सुरक्षा योजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है। जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल ₹0 406,82,37,680/- (₹0 चार सौ छः करोड़ बयासी लाख सैंतिस हजार छः सौ अस्सी मात्र) की धनराशि (जनपदवार फांट संलग्न) के अनुसार आवंटित की गयी है, शेष 25 प्रतिशत जनपदों को नौ माह की प्रगति की समीक्षा के आधार पर आवंटित की जायेगी। यह धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के आंकलन के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। धनराशि का आवंटन केवल व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये।

उक्त कार्यक्रम में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही नियमानुसार व्यय किया जाये। उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे। जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाये।

व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिट, स्टेटच्युरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(अनुराग उपाध्याय)
मिश्र निदेशक

पत्रसंख्या-एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8-9/2023-24/ तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुखसचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3 महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4 निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 7 समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
- 8 वित्त नियंत्रक-एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि डैप के अनुसार जनपदों को वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु।
- 9 समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
- 10 महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 12 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
- 13 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जनपद स्तरीय परामर्शदाता मातृ स्वास्थ्य एवं जिला लेखा प्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
- 14 विधि परामर्शदाता एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि इससे सम्बन्धित होने वाले वादों में संज्ञान लेने हेतु।
- 15 गार्ड फाईल।

(डॉ० रवि प्रकाश दीक्षित)
महाप्रबंधक, मातृस्वा0